संख्या-44 /2016/1429/30-3-16-05बी/2015

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 08 जून, 2016

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-लखीमपुर में निर्माणाधीन सारथी हाल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-जी162ए/2016-112ए/2014, दिनॉक 10-05-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पूर्व निर्मित सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-लखीमपुर में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-44/2015/1063/30-3-2015-05बी/2015, दिनॉक 08-06-2015 द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक26-08-2014 में निहित निर्देशों के अनुसार लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01-08-2014 से लागू कुर्सी क्षेत्रफल दरो पर गठित एवं अनुमोदित प्रारम्भिक आगणन की धनराशि रू० 429.51 लाख (रू० चार करोड़ उन्नीस लाख इक्यावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमा तक प्रथम किस्त के रूप में रू० 204.17 लाख (रू० दो करोड़ चार लाख सत्तरह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में कार्यदायी संस्था उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड़ के पत्र दिनांक 25-05-2016 द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय लखीमपुर के निर्माणाधीन सारथी हाल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति की गयी प्रथम किस्त की धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है। उक्त कार्य के लिए द्वितीय किस्त के रूप में अवशेष धनराशि रू० 225.34 लाख (रू० दो करोड़ पच्चीस लाख चौतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(4) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृति/द्विरावृति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) परियोजना का निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर ही पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(7) पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण के मानकीकरण शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/ 2013टी0सी0, दिनॉक 13-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-10-सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय लखीमपुर में सारथी हाल सहित भवन निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ

विशेष सचिव।

संख्या-44/2016/1429(1)/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हाथरस ।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, बायां तट, गोमतीनगर, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-425 पीसीएल/महाप्र0-जोन-सात/परिवहन, दिनॉक 18-03-2016 के क्रम में।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।